



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 21761

SEIAA/2022

Date: 25/11/22

प्रति,

सदस्य सचिव,

SEAC,

अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)

विषय:-प्रकरण क्र. 9270/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री अभिलाष कश्यप, लक्षमेव भवन, नियर लिटिल किंडम स्कूल, शांता मंदिर, नियर आस्था परिसर, न्यू रामनगर, आधारताल, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 24290 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.290 हेक्टेयर, खसरा नं. 521, 522, ग्राम तोरमदार, तहसील कुंदम, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 741वीं बैठक दिनांक 17.08.2022 एवं 753 वीं बैठक दिनांक 27.10.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया :-

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

"...समिति ने पाया कि जबलपुर जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज को छोड़कर अन्य गौड खनिज) अनुमोदन हेतु अभी अप्राप्त है तथापि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस प्रस्तावित खदान का उल्लेख नहीं है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 16.09.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये। उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण Relist कर परीक्षण हेतु प्रेषित है।

(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव

प.क्र. 2177/SEIAA/2022

दिनांक - 25/11/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला जबलपुर (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला जबलपुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला जबलपुर (म.प्र.)
10. श्री अभिलाष कश्यप, लक्षमेव भवन, नियर लिटिल किंडम स्कूल, शांता मंदिर, नियर आस्था परिसर, न्यू रामनगर, आधारताल, जिला जबलपुर
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी